[This question paper contains 6 printed pages.]

6370

Your Roll No.

LL.B./IV Term

A

Paper LB-4032: LABOUR LAW - II

Time: 3 Hours

Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note:—Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी : - इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt Five questions in all, including Question No. 1 which is compulsory.

All questions carry equal marks.

अनिवार्य प्रश्न क्रमांक 1 सहित कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

- 1. Discuss briefly any four of the following:
 - (a) Works Committee
 - (b) Distinction between 'Conciliation Officer' and 'Board of Conciliation'
 - (c) Protected workman

- (d) Application of the principles of res-judicata in the Industrial Adjudication
- (e) Scope of section 10(4) of the I.D. Act, 1947
- (क) संकर्भ समिति
- (ख) सुलह अधिकारी तथा सुलह-बोर्ड के बीच विभेद
- (ग) संरक्षित कर्मकार
- (घ) औद्योगिक न्यायनिर्णयन में पूर्व न्याय के सिद्धान्तों का अनुप्रयोग -
- (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(4) की परिव्याप्ति
- 2. An industrial dispute between worker's union and the management was referred for adjudication to an Industrial Tribunal by the appropriate Government. The Tribunal gave its award in favour of the union. Aggrieved by the said award the management files a special leave petition before the Supreme Court under Article 136(1) of the Constitution. The worker's union contends that the Supreme Court has no jurisdiction to grant special leave petition against the award of an Industrial Tribunal. Discuss and decide.

समुचित सरकार द्वारा कर्मकार यूनियन तथा प्रबन्धकों के बीच एक औद्योगिक विवाद को औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन हेतु निर्दिष्ट किया गया था। अधिकरण ने अपना अधिनिर्णय यूनियन के पक्ष में दिया। उक्त अधिनिर्णय से व्यथित होकर प्रबन्धकों ने संविधान के अनुच्छेद 136(1) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायलय के समक्ष विशेष अनुमित याचिका फाइल कर दी। कर्मकार यूनियन ने प्रतिवाद किया कि उच्चतम न्यायालय के पास एक औद्योगिक अधिकरण के अधिनिर्णय के विरूद्ध विशेष अनुमित याचिका को मंजूर करने की अधिकारिता नहीं है। विवेचन तथा विनिश्चय कीजिए।

- 3. Can the appropriate Government after receiving the failure report in relation to an industrial dispute exercise its power to make reference only under S.12(5) independently of section 10(1) of the Industrial Disputes Act, 1947? Discuss with the help of decided cases.
 - क्या समुचित सरकार किसी औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में विफलता रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपने अधिकार का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) से स्वतंत्र केवल धारा 12(5) के तहत निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग कर सकती है ? विनिक्ष्यित केसों की सहायता से विवेचन कीजिए।
- 4. Advise the management broadly on the principles governing disciplinary action against workman who may be accused of misconduct in employment.
 - प्रबन्धकों को उस कर्मकार के विरुद्ध जो रोजगार के दौरान अवचार का अभियुक्त हो सकता है, अनुशासनिक कारवाई को अधिशासित करने वाले सिद्धान्तों पर मोटे तौर पर सलाह दीजिए।
- (a) An industrial tribunal gave an award about the wages of workman, and sent it to the appropriate Government for publication. But before the P.T.O.

publication of the award the management and the workman arrive at a settlement and request the appropriate Government not to publish the award in view of the settlement. But the appropriate Government insists to publish it. Is the appropriate Government justified in insisting to publish the award? Discuss.

- (b) An award of the industrial tribunal is published by the appropriate Government after 35 days of its receipt under section 17(1) of the I.D. Act, 1947. Is the award legally binding under the I.D. Act, 1947? Discuss.
- (क) एक औद्योगिक अधिकरण ने कर्मकार की मजदूरी के बारे में अधिनिर्णय किया तथा उसे समुचित सरकार को प्रकाशनार्थ भेज दिया। किन्तु अधिनिर्णय के प्रकाशन से पूर्व प्रबन्धकों तथा कर्मकार ने समझौता कर लिया। उक्त समझौते को देखते हुए उन्होंने समुचित सरकार से उक्त अधिनिर्णय को प्रकाशित न करने का अनुरोध किया। किन्तु समुचित सरकार ने इसको प्रकाशित करने पर जोर दिया। क्या समुचित सरकार का उक्त अधिनिर्णय को प्रकाशित करने पर जोर दिया। क्या समुचित सरकार का उक्त अधिनिर्णय को प्रकाशित करने पर जोर देना न्यायोचित है ? विवेचन कीजिए।
- (ख) औद्योगिक अधिकरण के एक अधिनिर्णय को समुचित सरकार द्वारा इसकी प्राप्ति के 35 दिन बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 17(1) के अधीन प्रकाशित किया जाता है। क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत उक्त अधिनिर्णय विधि त: आबद्धकारी है ?

- 6. "Undoubtedly, the management of a concern has power to direct its own internal administration but the power is not unlimited and when a dispute arises, industrial tribunals have been given power to see whether the termination of service of a workman is justified and to give appropriate relief in cases of dismissal for misconduct. The tribunal does not, however, act as a count of appeal and substitute its own judgement for that of the management." (per S.K. Das, J. in Indian Iron & Steel Co. Ltd. V Their Workmen (1958) II LLJ 260.
 - Critically examine the above observation reflecting the correct legal position on the subject as on today.

"निस्सन्देह, किसी प्रतिष्ठान के प्रबन्धकों को अपना आन्तरिक प्रशासन निर्देशित करने का अधिकार प्राप्त है। किन्तु उक्त अधिकार असीमित नहीं है तथा जब विवाद पैदा होता है तब औद्योगिक अधिकरणों को यह देखने का अधिकार दिया गया है कि क्या किसी कर्मकार की सेवा समाप्ति न्यायोचित है तथा अवचार हेतु बरस्वास्तगी के मामलों में समुचित अनुतोष दिया गया है। मगर अधिकरण अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है तथा अपने स्वयं के निर्णय को प्रबन्धकों के निर्णय के स्थान पर रखता है।" (इंडियन आइरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटिड बनाम देयर वर्कमैन (1958) II LLJ 260 में न्यायाधीश एस के. दास के अनुसार।

इस विषय पर आज की सही कानूनी स्थिति को व्यक्त करते हुए उपर्युक्त टिप्पणी की समीक्षात्मक जांच कीजिए। 7. What do you understand by minimum wage? How would you distinguish it from fair wage? What are the criteria adopted by the Industrial Adjudicatory authorities in fixing/revising the wage structure in any particular industry? Discuss.

न्यूनतम मजदूरी से आप क्या समझते हैं ? आप उसको उचित मजदूरी से किस प्रकार विभेदित करोगे ? किसी कम्पनी विशेष में मजदूरी ढांचे के निद्यतन /परिशोधन में औद्योगिक न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों द्वारा क्या – क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ? विवेचन कीजिए।

8. Elucidate the following statement with the help of decided cases:

"An employer is liable to pay compensation for any personal injury caused to a workman by an accident arising out of an in course of his employment. And the premises of the employer have got to be extended both in time and place with the help of the doctrine of National Extension for the purposes of employer's liability."

विनिश्चित केसों की सहायता से निम्नलिखित कथन की व्याख्या कीजिए:

"नियोक्ता किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के कारण और नौकरी के अनुक्रम में हुई दुर्घटना द्वारा कारित किसी दैहिक क्षित हेतु प्रतिकर का भुगतान करने के दायित्वाधीन होता है तथा नियोक्ता के परिसर को उसके दायित्व के प्रयोजन हेतु काल्पनिक विस्तार के सिद्धान्त की सहायता से समय तथा स्थान की दृष्टि से विस्तारित करना होता है।"